वित्त विभाग बी० टी० (एफ) सं०—27

ज्ञाप सं०··········

बिहार सरकार

············विभाग

———

सेवा में

पटना, दिनांक ··············· 200

विषय— ······················के अन्तर्गत बचत का प्रत्यर्पण।

आदेश—संलग्न विवरण में उल्लिखित (······················रु०) राशि का प्रत्यर्पण स्वीकृत किया जाता है।

2. इस राशि की निकासी की जाती है और इसे··
अनुदान
———————————संख्या शीर्षक के "निकासी के लिये प्रत्यर्पण" में जोड़ दिया जाता है।
अनुदान विनियोग

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

———

ज्ञाप संख्या··········

पटना, दिनांक ··············· 200

*अनौपचारिक रूप से विमर्शित

प्रति विवरण की एक प्रति के साथ, *वित्त विभाग (बजट शाखा)/(संतुलन शाखा) को सूचनार्थ तथा महालेखाकार, बिहार को इस पृष्ठांकन के साथ भेजने के लिए प्रेषित की जाती है कि प्रत्यर्पण तथा निकासी वित्त विभाग द्वारा स्वीकृत की गयी है।

2. इस ज्ञाप की एक अतिरिक्त प्रति (अनुलग्नक सहित) वित्त विभाग (बजट शाखा) में प्रयोग के लिये संलग्न है।

*3. भारतीय उच्चायुक्त के मुख्य लेखा पदाधिकारी, महालेखापाल, भारतीय कार्यालय तथा भारतीय कार्यालय लेखा के अंकेक्षण को भी सूचना दी जाये। इस ज्ञाप की तीन/दो अतिरिक्त प्रतियां (अनुलग्नक अथवा विवरण के सुसंगत अवतरण सहित) प्रयोजनार्थ संलग्न है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सरकार के सचिव।

---

*आवश्यक हो तो कंडिका को संशोधित कर दें या काट दें।

बचत के प्रत्यर्पण का विवरण

19 —19 की अनुदान संख्या.....

19 — की अनुदान विनियोग संख्या.....

1, मुख्य शीर्ष 2. उप-मुख्य शीर्ष 3. लघु शीर्ष 4. उप-शीर्ष	आय-व्ययक उपबन्ध ।	वर्त्तमान उपबन्ध	सरकार को प्रत्यर्पित राशि ।	प्रत्यर्पण के बाद का उपबन्ध ।	अभ्युक्तियां ।
1	2	3	4	5	6
प्राथमिक इकाइयां					
वेतन					
जीवन-यापन भत्ता					
यात्रा व्यय					
कार्यालय व्यय					
दूरभाष					
विद्युत्					
अनुरक्षण					
लघु निर्माण कार्य					
कार्य					
वर्दी					
किराया, महसूल और कर					
सामग्री पूर्त्तियां					
अन्य प्रभार					
छात्रवृत्ति तथा वृत्तियां					
मशीन एवं उपकरण					
दवा भंडार					
पथ्य					
अन्य					
योग (प्रत्यर्पित राशि)					

टिप्पणियां—(1) मतदत्त और प्रभुत मदों के लिए अलग विवरण तैयार करना चाहिए।

(2) यदि स्तम्भ 2 और 3 के बीच कोई अन्तर हो तो उसे या तो अभ्युक्तियां स्तम्भ में या अलग विवरण में संक्षेप में उल्लेख करना चाहिए।

(3) स्तम्भ 4 में प्रत्यर्पण का कारण हो तो अभ्युक्तियां स्तम्भ में या अलग विवरण में पूर्ण रूप से दर्शाया जाय।

वि०स०मु० (वित्त) 17—मो०जी०—5,000—18-10-2004—सं० ना० प्रसाद